उत्तर प्रदेश शासन
नागरिक उड्डयन अनुभाग
संख्या-115/2019/2256/छप्पन-2019-31/2016
लखनऊ : दिनांक : 03 दिसम्बर, 2019

कार्यालय-ज्ञाप

(शुद्धि-पत्र)

जनपद गौतमबुद्धनगर में नॉएडा इन्टरनेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट, जेवर के निर्माण हेतु भूमि के अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले परिवारों के लिए स्थापन क्षेत्र के रूप में राजस्व ग्राम जेवर बागंर परगना व तहसील जेवर जनपद गौतमबुद्धनगर के 48.097 है0 भूमि के अर्जन प्रस्ताव में Social Impact Assessment (SIA) के कार्य हेतु नामित एजेन्सी (गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नौएडा, गौतमबुद्धनगर) की फीस/व्यय हेतु रू0 6,10,000/- एवं उस पर जी0एस0टी0 18 प्रतिशत रू0 1,09,800/- के योग रू0 7,19,800/- पर 10 प्रतिशत प्रशासनिक व्यय रू0 71,980/- सहित अर्थात् कुल धनराशि रु0 7,91,780/- (रुपया सात लाख इक्यानवे हजार सात सौ अस्सी मात्र) पर प्रशासकीय एवं वित्तीय अनुमोदन के साथ चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 में रु0 7,91,780/- (रुपया सात लाख इक्यानवे हजार सात सौ अस्सी मात्र) की धनराशि के व्यय हेतु स्वीकृति शासनादेश संख्या-110/2019/2014/छप्पन-2019-31/2016 दिनांक 19 नवम्बर, 2019 द्वारा निर्गत की गई थी। **इस शासनादेश के प्रस्तर-5 की प्रथम पंक्ति में चालू वित्तीय वर्ष 2018-19 त्रुटिवश टंकित हो गया था, जिसके स्थान पर चालू वित्तीय वर्ष 2019-20 पढ़ा एवं समझा जाए।**

2- उक्त शासनादेश इस सीमा तक संशोधित किया जाता है।

डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

पृ0संख्या-115/2019/2256(1)/छप्पन-2019 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार-प्रथम (लेखा एवं हकदारी), प्रथम, उ0प्र0, प्रयागराज।
2- उप महालेखाकार/ई0एस0-।।।, आडिट भवन, टीसी-35-वी-1, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ-10
3- मण्डलायुक्त, मेरठ।
4- कलैक्टर, गौतमबुद्धनगर।
5- निदेशक, नागरिक उड्डयन, उ0प्र0, लखनऊ।
6- कुल सचिव, गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय, ग्रेटर नॉएडा, गौतमबुद्धनगर।

2/...

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

7- मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

8- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ/कोषाधिकारी, गौतमबुद्धनगर।

9- विशेष कार्याधिकारी, यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, गौतमबुद्धनगर।

10- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7/नियोजन अनुभाग-4/राजस्व अनुभाग-13

11- निजी सचिव, मा0 नागरिक उड्डयन मंत्री, उत्तर प्रदेश।

12- समीक्षा अधिकारी (बजट) ।

13- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
डॉ0 सत्य प्रकाश तिवारी
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।